



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 4931

दिनांक:- 06/12/22

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-1 (ले-आउट प्लान) की 01/2022 की बैठक दिनांक 06.12.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बासनी निकूबा	25	03.10.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री गजेन्द्रराम पुत्र श्री बक्शाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी निकूबा के खसरा संख्या 25 रकबा 03.10.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट आरक्षित रखी जावे तथा सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 फीट भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बासनी निकूबा	25/2	03.08.06 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री भंवरलाल पुत्र श्री हीराराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी निकूबा के खसरा संख्या 25/2 रकबा 03.08.06 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				

—

<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट आरक्षित रखी जावें तथा सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 फीट भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बासनी निकूबा	25/5	05.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री भंवरलाल पुत्र श्री हीराराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी निकूबा के खसरा संख्या 25/5 रकबा 05.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट आरक्षित रखी जावें तथा सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 फीट भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बासनी निकूबा	25/3	04.04.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री गजेन्द्रराम पुत्र श्री बक्शाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी निकूबा के खसरा संख्या 25/3 रकबा 04.04.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				

निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट आरक्षित रखी जावें तथा सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 फीट भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
----------	---

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	नान्दडा कलां	249/7	10.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री केदार चौहान पुत्र श्री बंशीलाल चौहान				
विषय:-	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 249/7 रकबा 10.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण की पूर्व अनुमोदित योजना एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान की 80 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क को मानचित्र में दर्शाया जावें। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				



एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	नान्दडा कलां	249/5	05.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री गोपाल मेघवाल पुत्र श्री बाबुलाल मेघवाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 249/5 रकबा 05.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण की पूर्व अनुमोदित योजना में से 30 फीट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 80 फीट सडक उपलब्ध हो रहा है। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	नान्दडा कलां	265/4	12.00.00 बीघा में से 10.17.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री शिवराम पुत्र श्री खीयाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 265/4 रकबा 12.00.00 बीघा में से 10.17.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण की पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 40 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 				



4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	नान्दडा कला	186/3	11.12.00 बीघा में से 09.08.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री तुलछाराम पुत्र श्री रणछोडराम, श्रीमती डेलीदेवी पत्नी श्री किसनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम नान्दडा कला के खसरा संख्या 186/3 रकबा 11.12.00 बीघा में से 09.08.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण की पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 40 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	नान्दडा खुर्द	227/1 (90-क निर्णय पश्चात् नवीन खसरा संख्या 227/3 दर्ज किया गया है।)	02.16.16 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बुधीदेवी पत्नी श्री रणजीत				



विषय:-	राजस्व ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 227/1 (90-क निर्णय पश्चात् नवीन खसरा संख्या 227/3 दर्ज किया गया है।) रकबा 02.16.16 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट आरक्षित रखी जावे, तथा सडक मध्य से 50 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. योजना में एस.डब्ल्यू.एम एवम् मोबाईल टॉवर हेतु क्षेत्र मानचित्र में दर्शाया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	कांकेलाव	430, 431	06.04.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री धन्नाराम पुत्र श्री गिरधारीराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम कांकेलाव के खसरा संख्या 430, 431 रकबा 06.04.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित राजस्व मार्ग को 60 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 				

4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	कांकेलाव	1309/1	15.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री धन्नाराम पुत्र श्री गिरधारीराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम कांकेलाव के खसरा संख्या 1309/1 रकबा 15.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित राजस्व मार्ग को 60 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	अलकदडा	8 नवीन खसरा संख्या 8/7	03.09.00 बीघा	सामान्य वेयर हाउस
आवेदक	श्रीमती सुनारी पत्नी श्री सादुलराम, श्री सुखाराम, श्री शंकरलाल, श्री राजूराम, पि. श्री सादुलराम, रेखा पुत्री श्री सादुलराम, गंगा पत्नी श्री कानाराम, राकेश, बुधाराम पि. कानाराम, सुमन पुत्री श्री कानाराम, श्री सुरज पि. श्री मांगीलाल, सुगना पुत्री श्री मांगीलाल, भंवरी पत्नी श्री लच्छीराम, श्री भवरलाल, श्री जेठाराम पि. श्री लच्छीराम, गंगा पुत्री श्री लच्छीराम,				
विषय:-	राजस्व ग्राम अलकदडा के खसरा संख्या 8 नवीन खसरा संख्या 8/7 रकबा 03.09.00 बीघा में सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को दर्शित पहुंच की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 24 मीटर आरक्षित रखी जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। 				




2.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे।
3.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	अलकदडा	8/3 नवीन खसरा संख्या 8/6 (90/क उपरान्त) एवं 8/4	03.05.00 बीघा	सामान्य वेयर हाउस
आवेदक	श्रीमती शांति पत्नी श्री डूंगरराम, श्री टेमाराम पुत्र श्री गेपरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम अलकदडा के खसरा संख्या 8/3 नवीन खसरा संख्या 8/6 (90/क उपरान्त) एवं 8/4 रकबा 03.05.00 बीघा में सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को दर्शित पहुंच की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 24 मीटर आरक्षित रखी जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 14 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	अलकदडा	8 नवीन खसरा संख्या 8/8 (90/क उपरान्त)	10.00.00 बीघा	सामान्य वेयर हाउस
आवेदक	श्री सुरज पि. श्री मांगीलाल, सुगना पुत्री श्री मांगीलाल, भंवरी पत्नी श्री लच्छीराम, श्री भवरलाल, श्री जेठाराम पि. श्री लच्छीराम, गंगा पुत्र श्री लच्छीराम, सुनारी पत्नी श्री सादुलराम, श्री सुखाराम, श्री शंकरलाल, श्री राजुराम पि. श्री सादुलराम, रेखा पुत्री श्री सादुलराम, गंगा पत्नी श्री कानाराम, सुमन पुत्री कानाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम अलकदडा के खसरा संख्या 8 नवीन खसरा संख्या 8/8 (90/क उपरान्त) रकबा 10.00.00 बीघा में सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				



निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को दर्शित पहुंच की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 24 मीटर आरक्षित रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
----------	--

एजेण्डा संख्या 15 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बनाड	112, 115	10.19.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री यश जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्री पूनमसिंह सोलंकी पुत्र श्री संतोषसिंह, श्री भरतसिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 112, 115 रकबा 10.19.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण की पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 40 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी लाईन के नीचे सेपटी कोरिडोर एवम् जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार सेपटी कोरिडोर के सहारे सड़क का प्रावधान किया जावें। 3. जोनल डवलपमेंट प्लान में दर्शित जलीय इकाई से प्रभावित भूखण्ड संख्या 59 से 70 तक कुल 12 भूखण्डों को अनुमोदित नहीं माना जावें एवम् रहन रखे जाने योग्य भूखण्डों में भी उक्त भूखण्डों को शामिल नहीं किया जावें। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावें। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 16 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बनाड	290/3, 290/12 व 290/13	07.10.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	अ. गफूर, अ. मजीद एवं अ. सलीम पुत्रान् अ. शकूर				
विषय:-	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 290/3, 290/12 व 290/13 रकबा 07.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध सडक की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 120 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 60 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. योजना में पार्क व भूखण्डों के मध्य दर्शित 10 फीट पाथ एवम् भूखण्ड संख्या 36, 37 व 54 को 30 फीट सडक किया जावे तथा विक्रय योग्य क्षेत्रफल को 60 प्रतिशत से कम किया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 17 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बासनी बैदा	54/1/3	07.10.00 बीघा में से 06.01.10 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	मैसर्स सिल्वर लाईन बिल्डहोम प्रा.लि जरिये श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी बैदा के खसरा संख्या 54/1/3 रकबा 07.10.00 बीघा में से 06.01.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि एवम् जोजरी नदी के मध्य की दूरी प्रस्तुत गूगल मानचित्र, सर्वे एवम् योजना मानचित्र अनुसार स्पष्ट नहीं है। अतः आवेदित भूमि की जोजरी के राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में दूरी बाबत् स्पष्ट रिपोर्ट जोन उपायुक्त से प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया।				



एजेण्डा संख्या 18 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बासनी बैदा	15/2	25.05.00 बीघा में से 01.02.06 बीघा	पेट्रोल पम्प
आवेदक	श्री प्रेमराम पुत्र श्री आईदानराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी बैदा के खसरा संख्या 15/2 रकबा 25.05.00 बीघा में से 01.02.06 बीघा में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णय अनुसार 80 मीटर रखे जाने सडक मध्य से 40 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णय के शर्तों की अक्षरत पालना प्रार्थी द्वारा की जावें। 3. राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णय अनुसार 893 वर्गमीटर का पट्टा जारी किया जावें। 4. पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा प्रस्तुत संलग्न मानचित्र अनुसार डिस्पेन्सिंग यूनिट व सडक के दुसरी तरफ स्थित स्कूल की दूरी 50 मीटर से अधिक है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 5. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें। 6. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 7. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 19 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बासनी बैदा	146/77	05.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री तेजाराम, जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री राधा किशन सिंगल				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी बैदा के खसरा संख्या 146/77 रकबा 05.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध सडक की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 100 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 				



	<ol style="list-style-type: none"> 2. योजना में पार्क व भूखण्डों के मध्य दर्शित 10 फीट पाथ को 30 फीट सड़क किया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। 3. प्रार्थी द्वारा जोजरी नदी के एच.एफ.एल से योजना का ग्राउण्ड लेवल कम नहीं रखते हुए योजना विकसित की जावें। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावें। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

एजेण्डा संख्या 20 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	उचियारडा	122/1	03.15.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री दिनेश कन्नोजिया पुत्र श्री सीताराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 122/1 रकबा 03.15.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. योजना में दर्शित व्यवसायिक क्षेत्रफल में से न्यूनतम 2 प्रतिशत ईन्फोमल शॉप हेतु आरक्षित रखा जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। 3. प्रार्थी द्वारा जोजरी नदी के एच.एफ.एल से योजना का ग्राउण्ड लेवल कम नहीं रखते हुए योजना विकसित की जावें। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावें। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				



एजेण्डा संख्या 21 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	उचियारडा	134/1, 135/2	26 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री गिरधारीराम, श्री बींजाराम, श्री घेवरराम, श्री डलाराम पुत्रान् श्री भाणाराम, श्री किशनसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 134/1, 135/2 रकबा 26 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 40 फीट एवम् भूमि में से प्रस्तावित मास्टर डवलपमेंट प्लान की ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार 100 फीट सडक की सुनिश्चितता मौके पर की जावें। 2. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 100 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 3. ले-आउट प्लान का कुछ भाग आवेदित भूमि की राजस्व सीमा से बाहर स्थित है अतः उक्त क्षेत्र को हटाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित ईन्फोमल शॉप को हटा कर योजना में अन्यत्र प्रस्तावित कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 22 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	बांवरला	781	04.10.00 बीघा में से 01.10.00 बीघा	कॉटेज इण्डस्ट्रीज (औद्योगिक)
आवेदक	श्री बद्रीराम पुत्र श्री शिवाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बांवरला के खसरा संख्या 781 रकबा 04.10.00 बीघा में से 01.10.00 बीघा में कॉटेज इण्डस्ट्रीज (औद्योगिक) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित राजस्व मार्ग को 80 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 80 फीट रखते हुए सडक मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि 				



	<p>जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</p> <p>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे।</p> <p>3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

एजेण्डा संख्या 23 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	दांतीवाडा	426 / 4	03.03.08 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती सजुडी पत्नी श्री ढगलाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम दांतीवाडा के खसरा संख्या 426 / 4 रकबा 03.03.08 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित रखी जावे तथा सडक मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखी जावे। 2. आवेदित भूमि के पीछे स्थित राजस्व मार्ग को 60 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				



एजेण्डा संख्या 24 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	डांगियावास	102/3, 103/4	02.00.00 बीघा	व्यवसायिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्रीमती देवीमाई पुत्री श्री दुर्जनराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 102/3, 103/4 रकबा 02.00.00 बीघा में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित रखी जावें तथा सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 25 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	डोलिया	145	14.19.00 बीघा में से 02.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती उगली पत्नी स्व. श्री बुधाराम, श्री बालाराम पुत्र स्व. श्री बुधाराम, श्री छैलाराम पुत्र स्व. श्री बुधाराम, श्री गणपत पुत्र स्व. श्री बुधाराम, श्री दिलीप पुत्र स्व. श्री बुधाराम, संध्या पुत्री स्व. श्री बुधाराम एवं श्री सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री बुधाराम जरिये आममुख्यार श्री भंवरलाल पुत्र श्री किशनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 145 रकबा 14.19.00 बीघा में से 02.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित राजस्व मार्ग को 60 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 				



3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 26 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन-1	उचियारडा	84/1/3, 84/1, 84/2, 87, 87/2, 88, 88/1, 88/2, 88/3, 88/5 व 88/6	97.19.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बलवन्तराम पुत्र श्री रामचन्द्र एवं श्री राधाकृष्ण पुत्र श्री रामप्रताप				
विषय:-	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 84/1/3, 84/1, 84/2, 87, 87/2, 88, 88/1, 88/2, 88/3, 88/5 व 88/6 रकबा 97.19.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदित योजना संशोधन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में पूर्व में अनुमोदित योजना में दर्शित पार्क भूमि पर विकासकर्ता द्वारा मौके पर निर्मित पानी की टंकी के परिप्रेक्ष्य में रेरा के प्रावधानों के अनुरूप जोन उपायुक्त से टिप्पणी एवम् अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 27 :-

विषय :- भवन मानचित्र समिति जोन-पूर्व (ले-आउट प्लान) की 05/2022 बैठक दिनांक 27.07.2022 के जोन पूर्व के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

06/12/2022
उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 4932-36. दिनांक:- 06/12/2022
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।

02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।

03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।

04. उपायुक्त (जोन-1), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

06/12/2022
उप नगर नियोजक (द्वितीय)


एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 06.12.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमति मृदुला शेखावत, उपायुक्त (जोन-1) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |

 06/12/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर